न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 13/2019 नामान्तरकरण अपील

1. केसरा पुत्र चन्दरा जाति बैरवा निवासी ग्राम किराडी तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

अपीलान्ट्

बनाम

1. बसन्ता पुत्र चन्दरा जाति बैरवा निवासी ग्राम किराड़ी तहसील लालसोट जिला दौसा।
2. रामजीलाल पुत्र चन्दरा जाति बैरवा निवासी ग्राम किराडी तहसील लालसोट जिला दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट तहसील लालसोट।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.1.2007 एवं आदेश दिनांक 10.1.2007 न्यायालय तहसीलदार लालसोट एवं नामान्तरण सं0 446 वाके ग्राम किराडी तहसील लालसोट।

उपस्थिति :– 1. श्री एच0एन0 माठा अधिवक्ता अपीलान्ट ।
2. श्री अनूप माठा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 01 व 02।

–: निर्णय :– दिनांकः 18.6.2019

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 3 रकबा 46 बीघा 13 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 5 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा वाकै ग्राम किराडी तहसील लालसोट में स्थित है। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 उक्त आराजी पर अपने –अपने हिस्से 1/3 –1/3 पर बजमाने बुजुर्गान काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। तत्कालीन पटवारी हल्का ने ग्राम सम्पर्क अभियान में सहमति से तकास्मा दिखाकर उक्त भूमि को खसरा नम्बर 355/3, 356/3, 357/3, 358/3, 359/3, 360/3, 361/3, 362/3, 263/3, 364/3, 365/3, 366/3, 367/3, 368/3, 359/5, 370/5, 371/5 में विभाजित कर दिया एवं नक्शा सीट में भी भूमि के छोटे छोटे टुकड़े दिखा दिये। जबकि मौके पर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 ने भूमि के मात्र 3 हिस्से ही कर रखे हैं एवं हिस्से 1/3–1/3 पर काबिज हैं। पक्षकारान द्वारा रेस्पोडेन्ट सं0 3 को किसी प्रकार की सहमति नहीं दी गई एवं रेस्पोडेन्ट सं0 3 द्वारा किया गया विभाजन एवं नक्शा सीट तरमीम भी कानूनी प्रावधानों को नजर अन्दाज कर किया गया है। रेस्पोडेन्ट सं0 3 द्वारा दिनांक 10.1.2007 को तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा ग्राम सम्पर्क अभियान में दिनांक 10.1.07 के आदेश से सहमति से दिखाये गये तकास्मा के आधार पर दिनांक 10.1.07 को ही नामान्तकरण सं0 446 खोल दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया एवं अधिवक्ता अपीलान्ट एवं अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 01 व 02 की बहस सुनी गई।

अति0 जिला कलक्टर दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि अपीलांट को प्रश्नगत आदेश दिनांक 10.1.07 एवं निर्णय दिनांक 10.1.07 की जानकारी पक्षकारान में रास्ते बाबत हुए विवाद पर जमाबन्दी की एवं नक्शा सीट की नकल दिनांक 18.2.19 को लेने पर प्राप्त हुई। तत्कालीन पटवारी हल्का ने ग्राम सम्पर्क अभियान में सहमति तकास्मा दिखाकर उक्त भूमि को 355/3, 356/3, 357/3, 358/3, 359/3, 360/3, 361/3, 362/3, 263/3, 364/3, 365/3, 366/3, 367/3, 368/3, 359/5, 370/5, 371/5 में विभाजित कर दिया एवं नक्शा सीट में भी भूमि के छोटे छोटे टुकड़े दिखा दिये। जबकि भूमि के इतने छोटे छोटे टुकड़े किया जाना कानूनी प्रावधानों में नहीं है। मौके पर भी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 ने भूमि के मात्र 3 हिस्से ही कर रखे हैं एवं हिस्से 1/3–1/3 पर काबिज हैं। तहसीलदार लालसोट का ग्राम सम्पर्क अभियान में तकास्मा करने का दिनांक 10.1.07 का कोई अलग से आदेश नहीं है। तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रश्नगत निर्णय दिनांक 10.1.07 एवं आदेश दिनांक 10.2.07 एवं नामान्तरकरण सं0 446 वाके ग्राम किराडी को निरस्त किया जाकर अपीलांट की विधिवत सुनवाई किया जाना आवश्यक है। अतः अपील स्वीकार फरमाकर तहसीलदार लालसोट द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 10.1.2007 एवं आदेश दिनांक 10.1.2007 एवं नामान्तरण सं0 446 वाके ग्राम किराडी को निरस्त फरमाया जावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 01 व 02 द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण तहसीलदार लालसोट को पुनः सुनवाई कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया जावे तो रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में आपसी सहमति तकास्मा संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है एवं अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 द्वारा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के सम्बन्ध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड करने हेतु सहमति व्यक्त की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर नामान्तरकरण सं. 446 दिनांक 10.1.2007 ग्राम किराडी तहसील लालसोट को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लालसोट को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उभयपक्षकारान की सुनवाई की जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 18.6.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official